

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मुकदमा नंबर दावा / 63 / 2012

तारीख रजु 14.04.2012

उनवान
माधोसिंह पुत्र शिवचरण जाति जाट निवासी बाई जट्ट तहसील हिण्डोन जिला करौली
-----वादी

बनाम
जगमोहन पत्र शिवरण जाति जाट निवासी बाई जट्ट तहसील हिण्डौन जिला करौली।
-----प्रतिवादीगण (58)

उपस्थिति:-

वादी की ओर से :- श्री राधेश्याम शर्मा एडवोकेट।

निर्णय

दिनांक 27.02.2020

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादी की ओर वकालतन एक दावा बाबत भूमि विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा ग्राम बाई जट्ट तहसील तहसील हिण्डोन के खसरा नंबर 366/944, 426/981, 452, 567 के संबंध में पेश किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बार-बार आवाज दिलाने के उपरांत भी वादी पक्ष अनुपस्थित है ना ही प्रकरण में तलवाना पेश किया गया है।

अतः वादी का दावा मुकदमा नंबर 63/2012 माधोसिंह बनाम जगमोहन अदम हाजरी एव अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 27.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

00
27-02-2020
(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी जिला करौली

